P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-9*(Part-1) May- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

विद्यालय प्रबन्ध समिति की प्राथमिक शिक्षा में सहभागिता एवं सशक्तीकरण : (जनपद चमोली का विशेष अध्ययन)

पूजा
शोध छात्रा,
गृहविज्ञान विभाग,
हे0न0ब0ग0वि0वि0,
श्रीनगर, गढ़वाल,
उत्तराखण्ड, भारत

सारांश

राष्ट्रीय परिपेक्ष में प्राथमिक शिक्षा आत्मनिर्भरता और ज्ञानात्मक पक्ष को मजबूत करने का आधार है। अतः इस नींव को सशक्त बनाना बहुत आवश्यक है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी 6 से 14 वर्ष के बीच दी जाने वाली शिक्षा व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण है, यदि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर दृष्टि डालें तो शिक्षा का अर्थ अलग–अलग कालखण्डों में पृथक–पृथक रहा है। स्वतंत्र भारत में शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को शिक्षित, जागरूक और सर्वागीण विकास के साथ नैतिक और चरित्र निर्माण है। शुरूआती स्तर पर बालक का विकास शिक्षा से ही प्रारम्भ होता है। प्राथमिक शिक्षा का बालक तथा समाज के जीवन में विशेष महत्व है। इस अवस्था पर बालक के विकास की नींव पड़ती है। प्राथमिक शिक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा, बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, आधारभूत शिक्षा इन सबका मुख्यतः एक ही अर्थ है– शिक्षा प्रदान करना। प्राथमिक शिक्षा के चौथे चरण (1986 से आगे) में दो बातों पर विशेष बल दिया गया कि चौदह वर्ष की अवस्था तक के सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन और उनका विद्यालय में टिके रहना। प्राथमिक शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए 1987–88 में आपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक अभियान शुरू किया गया, ताकि बुनियादी शिक्षा के लिए सभी सुविधायें प्रदान की जायें और बच्चे विद्यालय में टिके रहें। प्राथमिक शिक्षा के सर्वीकरण और सार्वभौमीकरण के लिए सरकार द्वारा अनेकों प्रयास किये गये। 1990 में इस सम्बन्ध में समिति द्वारा सरकार को कई सुझाव भी दिये कि प्राथमिक शिक्षा की विधिवत मॉनीटरिंग की जाय ताकि प्रगति का स्तर ज्ञात हो सके। शिक्षा संस्था द्वारा सामाजिक जीवन में प्रभावशीलता उत्पन्न करने में संस्था के अध्यापकों कार्यकर्ताओं, प्रशासकों और अभिभावकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शिक्षा प्रसार में स्थानीय समुदायों का सहयोग प्राप्त कर सशक्त बनाया जाता है। संवैधानिक व्यवस्थाओं द्वारा लिंगभेद, वर्णभेद, जातिभेद आदि असमानताओं को दूर किया जाता है। बुनियादी शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक उत्प्रेरक भी है। शिक्षा का प्रसार जाति वर्ग तथा जेण्डर सम्बन्धी परम्परागत असमानताओं को मिटा पाने में सहायक होता है।

मुख्य शब्द : बुनियादी शिक्षा, सहभागिता, सर्वशिक्षा अभियान, आपरेशन ब्लैक बोर्ड, सशक्तीकरण

प्रस्तावना

किसी देश के विकास का मापदण्ड उसके नागरिकों की शिक्षा से लगाया जाता है। देश जितना शिक्षित होगा वह उतना ही विकसित होगा, इसलिए प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ करना जरूरी है। विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर को सुधारने के लिए केन्द्र व राज्य दोनों सरकारें नवीन व्यापक दृष्टिकोणों एवं रणनीतियों को बना रहे हैं ताकि विद्यालयी प्रभावशीलता एवं सामाजिक सहभागिता भी बनी रहे। सर्वशिक्षा अभियान (2002), मिड डे मील योजना (1995) प्रारम्भ की गयी ताकि प्राथमिक शिक्षा में सुधार हो सके। प्रत्येक वर्ग का बच्चा विद्यालय जा सके, नामांकन बढ़े, उपस्थिति बनी रहे, ड्राप आउट कम किया जाय और बच्चों का पोषण स्तर भी बना रहे। स्कूल प्रबन्ध समितियों का गठन हुआ और प्राथमिक शिक्षा की प्रगति में समिति के सदस्यों की सहभागिता बढ़े। 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा मौलिक अधिकार बन गया और इसे राइट टु एजुकेशन कहा गया। अध्ययन के अनुसार विभिन्न योजनाओं का प्रभाव प्राथमिक शिक्षा की प्रगति पर पड़ा है"।

प्रत्येक राष्ट्र की प्रगति उसके नागरिकों पर निर्भर करती है क्योंकि प्रत्येक देश के नागरिक ही देश के भविष्य का निर्माण करते हैं, परन्तु यह तभी सम्भव है जब देश का प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति

जितना अपने कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों एवं अधिकारों को समझ सकता है तथा उनका निर्वाह कर सकता है, उतना अशिक्षित व्यक्ति नहीं कर सकता है। भारत में बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, बाल मजदूरी, बंधुवा मजदूरी, बाल अपराध जैसी जटिल समस्याएँ फैली हैं। इन सभी समस्याओं का मूल कारण है अशिक्षा। सभी कमियों को दूर करने की दृष्टि से सरकार ने 2002 में सर्वशिक्षा अभियान नया कार्यक्रम प्रारम्भ किया। सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उपयोगी एवं प्रासंगिक शिक्षा प्रदान करना था। सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों में एक उद्देश्य बच्चों की नामांकन वृद्धि बढ़ाना है। जनपद चमोली में भी सर्व शिक्षा अभियान (एस0एस0ए0) के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजना (एम0डी0एम0) संचालित हो रही है।

शोध पत्र का उद्देश्य

जनपद चमोली (उत्तराखण्ड) के विकासखण्ड दशोली और जोशीमठ में विद्यालय प्रबन्ध समिति की प्राथमिक शिक्षा में सहभागिता एवं सशक्तीकरण की भूमिका का अध्ययन करना है–

1. एस0एम0सी0 द्वारा प्राथमिक विद्यालय की निगरानी एवं पर्यवेक्षण गतिविधियों का विवरण।
2. विद्यालय प्रबन्ध समिति के कार्य एवं सर्वेक्षित सदस्यों की जागरूकता।

शोध विधि

प्रस्तुत अध्ययन में जनपद चमोली के दशोली और जोशीमठ विकासखण्डों के विद्यालय प्रबन्ध समितियों की प्राथमिक शिक्षा में सहभागिता एवं सशक्तीकरण का अध्ययन किया गया है।

जनपद चमोली के 09 विकासखण्डों में से 02 विकासखण्डों का चयन सोदेश्य न्यादर्श विधि से किया गया। दोनों विकासखण्डों दशोली एवं जोशीमठ में स्थित 25–25 विद्यालयों को चयनित किया गया उक्त विद्यालयों के विद्यालय प्रबन्ध समिति (सदस्य) के 75–75 कुल 150 न्यादर्श के लिए चयनित किये गये।

जनपद चमोली			
चयनित विकासखण्ड	दशोली	जोशीमठ	कुल सदस्य
विद्यालय प्रबन्ध समिति (सदस्य) न्यादर्श	75	75	150

उपकरण

अध्ययन क्षेत्र से आंकड़ों के संग्रह के लिए स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया।

आंकड़ों का विश्लेषण

प्रदत्त विश्लेषण हेतु प्रतिशत विधि का प्रयोग किया गया। विकासखण्ड दशोली एवं जोशीमठ के विद्यालय प्रबन्ध समिति (सदस्य) पर प्रश्नावली प्रशासित की गयी और आंकड़ों का संकलन किया गया।

एस0एम0सी0 द्वारा प्राथमिक विद्यालय की निगरानी एवं पर्यवेक्षण गतिविधियों का विवरण

क्र0सं0	**विवरण**	**विकासखण्ड दशोली सं0= 75**		**विकासखण्ड जोशीमठ सं0= 75**	
		सं0	**प्रतिशत**	**सं0**	**प्रतिशत**
1.	शिक्षकों का समय पर आना	25	33.33	22	29.33
2.	शिक्षक उचित ढंग से नहीं पढ़ाते हैं	20	26.67	18	24.00
3.	विद्यालय का उचित निरीक्षण	10	13.33	14	18.67
4.	छात्रवृत्ति विवरण	12	16.00	11	14.67
5.	विद्युत	03	4.00	04	5.33
6.	कोई उत्तर नहीं	05	6.67	06	8.00
7.	योग	75	100.00	75	100.00

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षित 2018

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-9*(Part-1) May- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

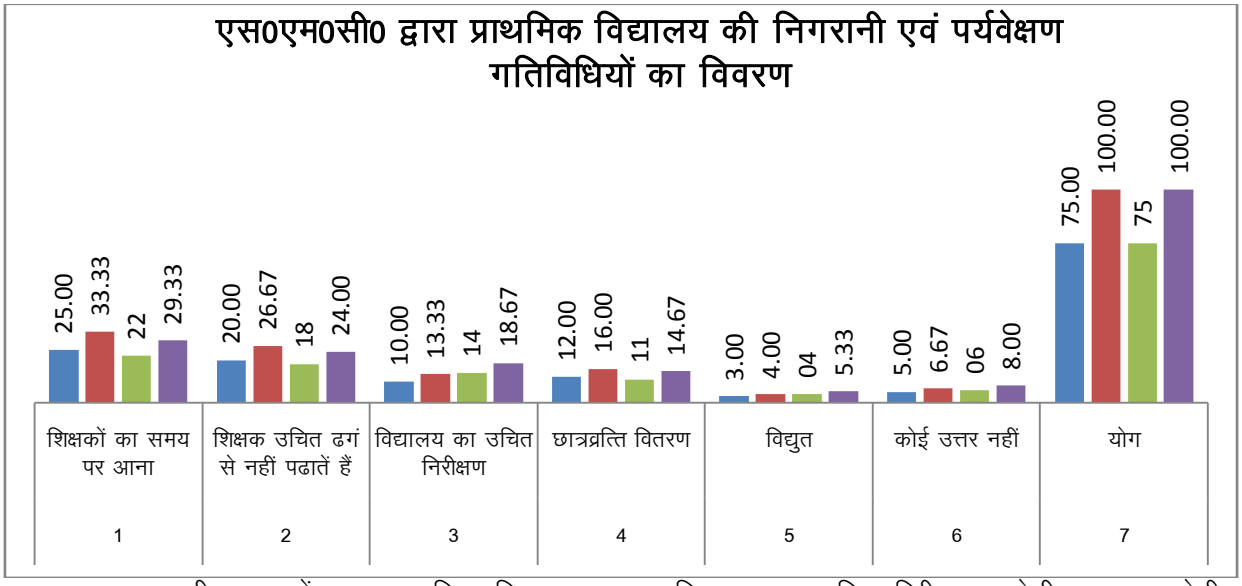

एस0एम0सी0 सदस्यों द्वारा प्राथमिक विद्यालय की निगरानी एवं पर्यवेक्षण गतिविधियों के तुलनात्मक विवरण से सम्बन्धित तालिका के अनुसार विकासखण्ड दशोली एवं जोशीमठ में शिक्षकों का समय पर आना। दशोली 33.33%, जोशीमठ 24.33%, शिक्षक उचित ढंग से नहीं पढ़ाते हैं दशोली 26.67% जोशीमठ 24.00, प्रतिशत विद्यालय का उचित निरीक्षण दशोली 13.33% जोशीमठ 18.67%, छात्रवृत्ति वितरण, दशोली 16.00% जोशीमठ 14. 67%, विद्युत दशोली 4.00% जोशीमठ 5.33 प्रतिशत, की जानकारी प्राप्त हुयी। तुलनात्मक दृष्टि से ज्ञात होता है दोनों विकासखण्डों में समान स्थिति है।

विद्यालय प्रबन्ध समिति के कार्य एवं सर्वेक्षित सदस्योंकी जागरूकता

क्र0सं0	विवरण	विकासखण्ड दशोली N= 75		विकासखण्ड जोशीमठ N= 75	
		सं0	प्रतिशत	सं0	प्रतिशत
1.	शिक्षा की गुणवत्ता	45	60.00	50	66.67
2.	बच्चों का शत प्रतिशत नामांकन	40	53.33	55	73.33
3.	मध्याह्न भोजन	35	46.67	42	56.00
4.	विद्यालय भवन की सुरक्षा	62	82.67	65	86.67
5.	निःशुल्क पाठ्य पुस्तक	60	80.00	52	69.33
6.	एस0एम0सी0 का गठन	53	70.67	50	66.67
7.	निःशुल्क गणवेश	52	69.33	42	56.00
8.	समुदाय के प्रत्येक वर्ग	54	72.00	51	68.00
9.	वित्तीय प्रबन्धन	48	64.00	52	69.33
10.	विभिन्न गतिविधियाँ	42	56.00	38	50.67
11.	सामुदायिक सहभागिता	34	45.33	53	70.67
12.	सूचना का अधिकार	62	82.67	59	78.67
13.	विद्यालय विकास योजना	54	72.00	62	82.67
14.	बाल संरक्षण	52	69.33	61	81.33
15.	स्थानीय प्राधिकार	35	46.67	40	53.33

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षित 2018

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-9*(Part-1) May- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

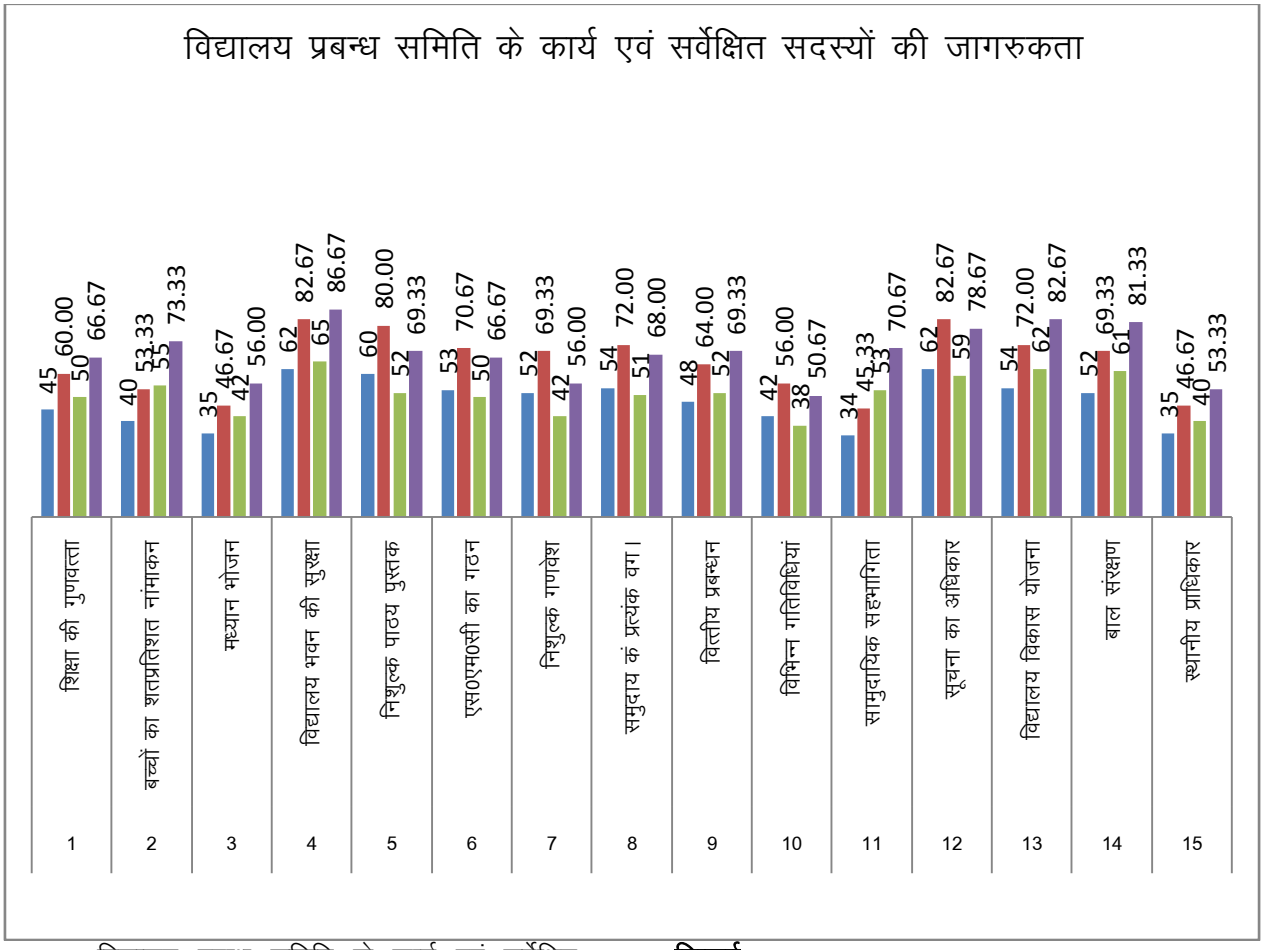

विद्यालय प्रबन्ध समिति के कार्य एवं सर्वेक्षित सदस्यों की जागरूकता से सम्बन्धित विकासखण्ड दशोली एवं जोशीमठ की तालिका में पाया गया कि शिक्षा की गुणवत्ता दशोली 60% जोशीमठ 66%, बच्चों का शत प्रतिशत नामांकन, दशोली 53.37% जोशीमठ 73.33%, मध्याह्न भोजन दशोली 46.67% जोशीमठ 56.00%, विद्यालय भवन की सुरक्षा दशोली 82.67% जोशीमठ 86. 67%, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक दशोली80% जोशीमठ 69. 33%, एस0एम0सी0 का गठन दशोली 70.67% जोशीमठ 66.67%, निःशुल्क गणवेश दशोली 69.33% जोशीमठ 36%, समुदाय के प्रत्येक वर्ग दशोली 72% जोशीमठ 68%, वित्तीय प्रबन्धन दशोली 64% जोशीमठ 69.33%, विभिन्न गतिविधियाँ दशोली 56% जोशीमठ 56.67%, सामुदायिक सहभागिता दशोली 25.33% जोशीमठ 70. 67%, सूचना का अधिकार दशोली 82.67% जोशीमठ 78. 67%, विद्यालय विकास योजना दशोली 72.33% जोशीमठ 82.67%, बाल संरक्षण दशोली 69.33% जोशीमठ 81. 33%,स्थानीय प्राधिकार दशोली 46.67% जोशीमठ 53. 33%, विद्यालय प्रबन्धन समिति के कार्यों के प्रति सर्वेक्षित सदस्यों की जागरूकता सम्बन्धी विश्लेषण के अनुसार विकासखण्ड दशोली और जोशीमठ में जागरूकता का स्तर दोनों विकासखण्डों में अधिकांश 50 प्रतिशत से अधिक है।

निष्कर्ष

प्राथमिक शिक्षा का बालक तथा समाज के जीवन में विशेष महत्व है। इस अवस्था पर बालक के विकास की नींव पड़ती है। नींव जितनी सुदृढ़ होगी उतना ही सुदृढ़ विकास होगा। अतः इस अवस्था पर उद्देश्यों का उचित ढंग से निर्धारण करना आवश्यक है तथा उसकी पूर्ति के लिए प्रयास करना आवश्यक है ताकि बच्चे विद्यालय में स्वस्थ मानसिक जीवन व्यतीत कर सकें और बच्चों की भौतिक, मानसिक, सामाजिक भावात्मक नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा का संचालन काफी विस्तृत और सघन रूप से किया जा रहा है। समुदाय की भूमिका प्रत्यक्ष रूप से एस0एम0सी0 के माध्यम से विद्यालय के साथ निभायी जा रही है। जिससे समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित हो सके और सशक्तिकरण बढ़ाया जा सके। प्राथमिक शिक्षा में विभिन्न रूपों में एस0एम0सी0 के सदस्यों द्वारा सहभागिता और सहयोग किया जाता है। जिनसे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ायी जा सके और शिक्षा के सहयोगी सशक्त कार्यक्रमों जैसे एम0डी0एम0 को सुचारू रूप से चलाया जा सके ताकि बच्चों का नामांकन बढ़ाया जा सके और उपस्थिति बनी रहे एवं ड्राप आउट कम किया जा सके। एस0एम0सी0 के सदस्यों द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता, बच्चों का शत प्रतिशत नामांकन, मध्याह्न भोजन, विद्यालय भवन की सुरक्षा, पाठ्य पुस्तक निशुल्क गणवेश, वित्तीय प्रबन्धन, सूचना का अधिकार, विद्यालय विकास योजना, विद्यालय में

खेलकूद मनोरंजन के साधन, संसाधन जुटाना आदि का सुझाव प्रयास और समस्याओं का समाधान किया जाता है। इसलिए प्राथमिक शिक्षा में विद्यालय प्रबन्ध समितियों की सहभागिता जरूरी है।

प्रस्तुत अध्ययन में यह पाया गया कि प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाने में विद्यालय प्रबन्ध समितियों की जागरूकता और सहभागिता 50 प्रतिशत से अधिक है जो कि एक अच्छा संकेत है।

सुझाव

प्रस्तुत अध्ययन में पाया गया कि विद्यालयी शिक्षा के सफल संचालन के लिए समुदाय की सहभागिता आवश्यक है क्योंकि विद्यालय के उचित प्रबन्धन हेतु समय–समय पर आवश्यक सहयोग और सुझावों की आवश्यकता होती है। जिससे सशक्तिकरण हो सके और समुदाय के बच्चों को विद्यालय जाने का अवसर मिले और विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने में सहयोग किया जा सके। प्राथमिक शिक्षा में पंचायतों और ग्राम समितियों की अहम भूमिका रहती है क्योंकि बच्चे समुदाय से ही स्कूल जाते हैं। ग्रामीण स्तर पर अभिभावक ग्राम प्रधान व अन्य सदस्य सभी बच्चों, बालिकाओं को विद्यालय में जाने के लिए प्रेरित करते हैं और यह भी ध्यान रखा जाता है कि जिसका नामांकन हो गया है वे नियमित रूप से उपस्थित भी रहें। जिससे ड्राप आउट कम करने या समाप्त करने में मदद मिल सके। इसलिए प्राथमिक शिक्षा के सफल क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु विद्यालय प्रबन्ध समितियों को मजबूत किया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

सिंह डी0पी0 (2004) : विद्यालय प्रबन्ध एवं शिक्षा की समस्याएँ रिसर्च पब्लिकेशन ट्रिपोलिया बाजार जयपुर।

प्रेम नारायण शर्मा (2006) : महिला सशक्तिकरण एवं समग्र विकास भारत बुक सेन्टर अशोक मार्ग लखनऊ।

जे0सी0 अग्रवाल (2003) : भारत में प्राथमिक शिक्षा विद्या विहार नई दिल्ली।

सर्व शिक्षा अभियान पत्रिका (2002) भारत सरकार।

अमृत्य सेन (1999) : बुनियादी शिक्षा एक राजनीतिक मुद्दा।

वुमन इम्पावरमेन्ट एण्ड इम्पलायमेन्ट (2011) रिंकू भटनागर न्यू सेन्चुरी प0 नई दिल्ली।

परिप्रेक्ष्य अश्विनी, वर्ष (2009) व 1 अप्रैल अंक 16, ग्रामीण शिक्षा में सामुदायिक सहभागिता।

शिक्षा की ओर जागृति, एस0एम0सी0 संदर्भ पुस्तिका, सर्व शिक्षा अभियान राज्य परियोजना कार्यालय देहरादून। (2008)

शिक्षा की ओर जागृति, सामुदायिक सहभागिता प्रशिक्षण, प्रशिक्षण डायरी 2016–17, सर्व शिक्षा अभियान राज्य परियोजना देहरादून।

चिल्ड्रन इन इण्डिया, आई0यू0ए0एफ0सी0ई0, दिल्ली यूनिवर्सिटी 1990।